<u>उपखनिज के निकासी की अनुमति</u>

मै0 सेवफेब डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनीत गोयल निवासी– कटोरी मिल, मोहन नगर, गाजियाबाद ने प्रार्थना पत्र दिनांक 12.04.2017 प्रस्तुत किया है। जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद की तकनीकी जॉच आख्या दिनांक 13.04.2017 पर जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 15.04.2017 के द्वारा बेसमेन्ट के निर्माण से निकलने वाले 5.5 मीटर गहराई तक 12359 घनमीटर साधारण मिट्टी निकासी की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा 12359 घनमीटर साधारण मिट्टी पर रू0 30/– प्रति घन की दर से देय रायल्टी रू0 3,70,770 /– होती है। इस प्रकार कुल देय रायल्टी **रू0 3,70,770/–(रू0 तीन लाख सत्तर हजार सात सौ सत्तर मात्र)**, जिसमें **रू0 3,64,000/–** ड्राफ्ट सं0 **509383** दिनांक 15.04.2017 एवं **रू0 6,770/–** चालान सं0 आर 163421 दिनांक 18.04.2017 के द्वारा राजकीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कर दिया है। अतः जिलाधिकारी महोदया के आदेश दिनांक 13.01.2016 के अर्न्तगत एतदद्वारा 03 माह के भीतर निम्नवत् शर्त के अधीन बेसमेंन्ट निर्माण हेतु 5.5 मीटर गहराई तक 12359 घनमीटर साधारण मिट्टी निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>भूमि का विवरण</u>

तहसील	परगना	ग्राम/स्थान	खसरा/प्लाट संख्या	क्षेत्रफल/मात्रा
गाजियाबाद	–	करहेड़ा साहिबाबाद	115/1, 1126/1, 1131, 1144/2, 1145/1, 1146एम, 1154/1, 1132, 1127मि0, 1128/1, 1129, 1114, 1115, 1116, 1117, 1119, 1120, 1124/1, 1130, 1147, 1148, 1149, 1150, 1146मि0	29548.900 वर्गमीटर भाग में से 2247 वर्गमीटर भाग में 5.5 मीटर गहराई तक बेसमेंट के निर्माण हेतु 12359 घनमीटर साधारण मिट्टी की निकासी 03 माह के भीतर की जायेगी।

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन किया जाना आवश्यक हैः–

1. आवेदक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. आवेदक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू–गृहादि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
3. खनन कार्य मैनुअल विधि से किया जायेगा।
4. आवेदक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
5. खनिज की निकासी की मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक मान्य होगी।
6. प्रत्येक 15 दिन में खनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. निकासी कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू–भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुँचे और यदि कोई क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
8. यदि निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
9. हाईटेंशन लाईन के टावर से 50 मीटर की दूरी छोड़कर ही बेसमेन्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
10. पक्की रोड, बिजली का खम्भा, नाले तथा सार्वजनिक स्थल आदि से सुरक्षित दूरी छोड़कर ही बेसमेन्ट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
11. यदि आवेदक द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो निकासी आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
12. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से स्वीकृति मानचित्र पत्र संख्य 112/जोन–7/जी0एच0/2014–15 दिनांक 23.07.2015 में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 21–443/2007–1ए–।।। दिनांक 31.1.2007 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह स्वीकृती आदेश माननीय न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रयूबनल द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अधीन होगी। तथा जिसका पालन सुनिश्चित करना आवेदक को अनिवार्य होगा।
14. **निदेशक पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 विनीत खण्ड 1 गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/ साधारण मिट्टी खनन /2012 दिनांक 18.12.2012** तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 21–443/2007–1ए–।।। दिनांक 31.1.2007 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD Uttar Pradesh

अतिरिक्त शर्तेः–

1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
7. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of per law.

जिला खनन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
2- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सदर गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
3- भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद।
4- थानाध्यक्ष, संबंधित।
5- मै0 सेवफेब डेवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा श्री विनीत गोयल निवासी– सी–39/1 बी मेरठ रोड, इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद ।

18/4/17

जिला खनन अधिकारी
गाजियाबाद।